



प्रेस नोट

थाना बिन्दकी, जनपद फतेहपुर

अन्तर्जनपदीय शातिर चोर अवैध तमंचा, कारतूस व बमों के साथ गिरफ्तार, पूर्व में कर चुका है कई वारदात थाना बिन्दकी फतेहपुर

दिनांक 30/06/2022

आज दिनांक 30/06/2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहपुर महोदय के द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी बिन्दकी के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व में चौकी प्रभारी खजुहा उ०नि० राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा मुखविर खास की सटीक सूचना पर समय करीब 10.15 बजे पारादान कोठी तिराहा बाहद क्षेत्र ग्राम पारादान, थाना बिन्दकी फतेहपुर से मुन्नाशाह उर्फ फुन्ना पुत्र स्व० कल्लू शाह निवासी बडी वाजार थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर उम्र करीब 35 वर्ष को एक अदद तमंचा 315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व दो अदद नाजायज देशी बम के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः मु०अ०सं० 283/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम व मु०अ०सं० 0284/2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर वास्ते पेश होने माननीय न्यायालय फतेहपुर कोर्ट भेजा गया। अभियुक्त का काफी विस्तृत आपराधिक इतिहास है। इसके द्वारा जनपद कानपुर नगर के विभिन्न थानों में लूट, चोरी आदि की घटना कारित की गयी है।

नाम पता अभियुक्त

1. मुन्नाशाह उर्फ फुन्ना पुत्र स्व० कल्लू शाह निवासी बडी वाजार थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान व समय

1. 10.15 बजे पारादान कोठी तिराहा बाहद क्षेत्र ग्राम पारादान, थाना बिन्दकी फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
2. हे०का० गोविन्द सिंह यादव थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
3. का० सूर्यभान सिंह थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
4. का० उबैद उल्ला थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु०अ०सं० 0315/2019 धारा 379 आई०पी०सी० थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
2. मु०अ०सं० 0420/2019 धारा 379 आई०पी०सी० थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
3. मु०अ०सं० 0434/2019 धारा 394 आई०पी०सी० थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
4. मु०अ०सं० 0435/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
5. मु०अ०सं० 0436/2019 धारा 307/353/392/411 आई०पी०सी० थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
6. मु०अ०सं० 0437/2019 धारा 7/27 आयुध अधिनियम थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
7. मु०अ०सं० 0542/2020 धारा 392 आई०पी०सी० थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
8. मु०अ०सं० 0659/2020 धारा 18/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
9. मु०अ०सं० 1063/2019 धारा 3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना चकेरी जनपद कानपुर नगर
10. मु०अ०सं० 0075/2016 धारा 323/376 आई०पी०सी० थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात
11. मु०अ०सं० 0283/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
12. मु०अ०सं० 0284/2022 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर

